

न्यायालय:-शरद जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी अंजड  
जिला-बड़वानी (म0प्र0)

आप.प्र.कमांक 639 / 2017

आर.सी.टी.नं. 172 / 2017

संस्थित दिनांक 28.08.2017

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द, अंजड  
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. माधव पिता नरसिंह कोली,  
उम्र 42 वर्ष, निवासी बोरलाय  
जिला बड़वानी म.प्र.
2. आनंद पिता माधव कोली,  
उम्र 19 वर्ष, निवासी बोरलाय  
बसावट जिला बड़वानी म.प्र.
3. चंदन पिता माधव कोली,  
निवासी बोरलाय थाना अंजड  
जिला बड़वानी म.प्र.

(मृत)

-----अभियुक्तगण

राज्य तर्फे एडीपीओ

— श्री अकरम मंसूरी ।

अभियुक्तगण तर्फे अभिभाषक

— श्री आर.के.श्रीवास ।

// निर्णय //

(आज दिनांक 01.06.2018 को घोषित )

अभियुक्तगण पर धारा 294,323,323 / 34,324,324 / 34,506 भाग-2 भा.द.सं. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि, अभियुक्तगण ने दिनांक 18. 08.2017 को रात 01:20 बजे, बोरलाय फरियादी के घर के पास सार्वजनिक स्थान पर या उसके पास फरियादी प्रकाश एवं कुसुमबाई को मां बहन की अश्लील गालिया देने तथा सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त आनंद द्वारा प्रकाश व कुसुमबाई को हाथ-मुक्कों से मारपीट कर उन्हें उपहति कारित करने तथा सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त माधव ने फरियादी प्रकाश को धारदार वस्तु करनी से मारकर उपहति कारित करने तथा फरियादी प्रकाश व आहत कुसुमबाई को जान से मारने की धमकी देने के संबंध में भा.द.सं. की धारा 294,323,323 / 34,324,324 / 34,506 भाग-2 का आरोप है।

2. अभियुक्तगण व फरियादी प्रकाश तथा कुसुमबाई के मध्य अंतर्गत धारा 294,323,323 / 34,506 भाग-2 भा.द.सं. में राजीनामा हो जाने से अभियुक्तगण को उक्त धाराओं के अंतर्गत दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 324,324 / 34 भा.द.सं. में विचारण जारी रखा गया। प्रकरण में अभियुक्त चंदन पिता माधव की मृत्यु हो जाने से दिनांक 28.04.2018 को उसके मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर अभियुक्त चंदन को मृत घोषित किया गया।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, दिनांक 18.08.2017 को फरियादी प्रकाश ने थाना अंजड़ पर उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि आज उसकी पत्नी कुसुमबाई को उसका भाई आरोपी माधव गाली गुप्ता कर रहा था तो उसने बोला कि उसकी औरत को तु गाली गुप्ता क्यों कर रहा है, इतने में आरोपी माधव के लडके आरोपी चंदन व आनंद आ गये व तीनों ने मादर चौद बहन चौद की नंगी नंगी गालियां देने लगे। उसने गालियां देने से मना किया तो आरोपी माधव ने हाथ में लिये करनी मारी जो सिर में लगी खून निकल आया तथा दोनों लडके आरोपी चंदन व आनंद ने लात मुक्कों से उसे व उसकी पत्नी के साथ मारपीट की और बोल रहे थे कि पिता के पैसे तुमने खाये किसी दिन तुमको खाये किसी दिन तुमको जान से खत्म कर देंगे। घटना कुंदन, संजय व नितेश ने देखी व बीच बचाव किया, उन्हें साथ लेकर थाने पर रिपोर्ट करने आया है। उक्त मौखिक रिपोर्ट के आधार पर थाना अंजड़ में अपराध क्रं० 298 / 2017 का दर्ज कर, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये हैं, आहत का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया, तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

4. अभियोग पत्र के आधार पर मेरे द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294,323,323 / 34,324,324 / 34,506 भाग-2 भा०द०सं० के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं०प्र०सं० के परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होकर झूठा फसाया जाना व्यक्त किया है, तथा बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि -

1. क्या अभियुक्त माधव ने दिनांक 18.08.2017 को रात 01:20 बजे, स्थान- बोरलाय फरियादी के घर के पास फरियादी प्रकाश को धारदार वस्तु करनी से मारकर उपहति कारित की?

2. क्या अभियुक्तगण द्वारा उक्त,दिनांक,समय व स्थान पर फरियादी/आहत् प्रकाश को सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त माधव ने फरियादी प्रकाश को धारदार वस्तु करनी से मारकर उपहति कारित की ?

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार

// विचारणीय प्रश्न कं0 1 व 2 //

6. साक्ष्य एवं तथ्यों की पुनरावर्तियों के निवारणार्थ दोनों ही विचारणीय प्रश्न का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में प्रकाश (अ.सा.1) व डॉ. रितेश काग (अ.सा.2) के कथन कराये गये हैं अभियोजन द्वारा आहत् साक्षी स्वयं के द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया है जिस कारण अन्य साक्षीगणों के कथन नहीं कराये है। जबकि अभियुक्तगण की ओर से उनकी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

7. इस संबंध में विचार करने पर फरियादी प्रकाश (अ.सा.1) ने अपने कथन में बताया है कि, वह अभियुक्तगण को जानता है। घटना लगभग 6-7 माह पूर्व शाम के लगभग 5 बजे की है। घटना वाले दिन अभियुक्तगण ने उसके साथ विवाद किया था तथा धक्का मुक्की की थी, जिससे उसका पैर फिसलने से वह जमीन पर गिर गया था, जिससे उसे सिर में जमीन पर पड़ा हुआ पत्थर लग गया था तथा सिर में से खून निकला था। घटना में उसकी पत्नी तथा कुंदन, संजय व नितेश ने बीच बचाव किया था। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना अंजड़ पर की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस को उसने प्रदर्श पी 2 का घटना स्थल बताया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

8. अभियोजन ने उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न किये जाने की अनुमति चाही गयी है। जिसे न्यायालय द्वारा विचार उपरांत प्रदान की गयी। प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर उक्त साक्षी ने आरोपित अपराध के संबंध में कोई उल्लेखनीय तथ्य प्रकट नहीं करे है, इस प्रश्न से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण एक साथ आये तथा उन्होंने उसके साथ लड़ाई झगडा कर मारपीट की तभी अभियुक्त माधव ने उसके सिर में करनी मार दी, जिससे उसके सिर में चोट आई। फरियादी प्रकाश (अ.सा.1) ने रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 व कथन प्र0पी0 3 में अभियुक्त माधव द्वारा उसके सिर में करनी मारने वाली बात से इंकार किया है। यह भी स्वीकार किया है कि, फरियादी आहत् साक्षी प्रकाश (अ.सा.1) द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा कर लिया हैं।

8. डॉक्टर रितेश काग (अ.सा.2) ने अपने अपने कथन में व्यक्त किया है कि

उसने दिनांक 18.08.2017 को आरक्षक मुबारिक द्वारा आहत प्रकाश निवासी बोरलाय को मेडिकल परीक्षण हेतु लाने पर, परीक्षण में बांयी ओर कपाल पर उल्टे फ्रंटो पेराईटल टेम्पोरल भाग पर एक कटा हुआ घाव नियमित मार्जिन लिये हुये जिससे रक्त स्त्राव हो रहा था, जिसका आकार 1 इंच X 1/4 इंच X 1/4 इंच था, जो किसी धारदार वस्तु से उसके परीक्षण के 6 घंटे के भीतर की थी। उसके द्वारा दी गई मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि आहत यदि किसी धारदार पत्थर पर गिरे तो उक्त चोट आना संभव है।

9. यह सही है कि, प्रकरण में फरियादी/आहतगण प्रकाश ने अभियुक्त के साथ राजीनामा कर लिया है और यही कारण है कि, वह न्यायालय के समक्ष अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं कर रहा है, चूंकि फरियादी, ने आरोपित अपराध के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। अतः डॉक्टर रितेश काग (अ.सा.2) के कथन पर अभियुक्तगण के विरुद्ध दोषिता का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, एवं जिस कारण अभियुक्तगण दोषमुक्ती के पात्र हो गये हैं। अतः अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है कि, घटना दिनांक 18.08.2017 को समय रात 01:20 बजे, स्थान-ग्राम बोरलाय फरियादी के घर के पास में अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त माधव ने फरियादी प्रकाश को धारदार वस्तु करनी से मारकर उपहति कारित की है।

10. अतः न्यायालय अभियुक्तगण को दोषसिद्धि नहीं पाते हुये। धारा 324 भा.द.सं. के अपराध से दोषमुक्त करता है।

11. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

12. प्रकरण में जप्तशुदा मकान बनाने की एक करनी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट की जाए। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

13. अभियुक्तगण के अभिरक्षा में रहने के संबंध में धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

सही / -  
(शरद जोशी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,  
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.

सही / -  
(शरद जोशी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,  
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.